न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-52RAAJodhpur2023-35RTA223 Smt. Siwnari Vs Smt. Bhanwari etc

श्रीमती सिंवरी पत्नी सीताराम जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द, हाल गारासनी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी श्री परसाराम, जाति जाट, निवासी- दाड़मी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
2. बद्रीराम पुत्र झुमरराम जाति बावरी, निवासी- गारासनी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
3. श्रीमान् तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 अप्रैल 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व मूल वाद संख्या 2014/00140 {09/2014} भंवरीदेवी बनाम सिंवरी इत्यादि

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक,

श्री महीपालसिंह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

निर्णय

दिनांक : 03 अगस्त 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 2014/00140 {09/2014} भंवरीदेवी बनाम सिंवरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 अप्रैल 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 494, 584, 585, 493, 590 कुल रकबा 56 बीघा 19 बिस्वा ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2022 को वादी का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर दावे के सम्मनों की विधिवत तामील के बिना ही उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर एक तरफा डिक्री पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटि की है। दिनांक 30.10.2015 को विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त होना मानकर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है, लेकिन इस तारीख बाबत न तो अपीलांट को सम्मन भेजा गया, न ही इस तारीख बिला कोई सम्मन ही जारी किये गये है, इसलिए एकतरफा कार्यवाही बिना नोटिस एवं बिना सुनवाई के की गई है। रेस्पोडेंट ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है, जिसमें संपूर्ण खसरों को शामिल नहीं करते हुए एक खसरे को पीछे छोड़कर मौजूदा वाद पेश किया गया है, जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी खसरों के बंटवाड़े का दावा पेश किया जाना चाहिए। नियमानुसार सम्मन के साथ दावे की प्रति भेजी जानी आवश्यक है, लेकिन सम्मन के साथ दावे की प्रति नहीं भेजी गई, इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य हैं। अपीलांट ने दावे की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र अनतर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया, लेकिन प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी भूल की गई हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक नोटिस के अपीलांट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को समय पर जानकारी नहीं हो सकी। प्राथमिक डिक्री होने के बाद तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट बनाने आने पर जानकारी में आया कि मौजूदा प्रकरण में निर्णय एवं डिक्री पूर्व में पारित हो चुकी है, तब नकल लेने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई एवं जानकारी से उक्त अपील अंदर म्याद पेश की गई।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 अप्रेल 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा मामले को पुनः प्रेषित किया जाकर अपीलांट का जवाबदावा एवं साक्ष्य शपथ-पत्र लिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करने के आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई, उसके बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। दावे में पक्षकारान् के हिस्से खोले हुए है, जिस पर अपीलांट्स द्वारा किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट्स के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन/हस्तक्षेप नहीं किया गया है, जिससे उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो। अपीलांट का उज्र है कि एक खसरे को दावे में सम्मिलित नहीं किया तो वह उक्त खसरे के संबंध में दावा लाने के लिए स्वतंत्र है। यह भी उल्लेखनीय है कि विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के पुत्र के हस्ताक्षर है। अपीलांट द्वारा जानकारी होने के बावजूद भी अपील विलंब से पेश की है तथा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अपीलांट को आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.02.2014 नियत कर भेजे गये सम्मन बाद तामील विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है जो स्वयं से तामील हुए है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को दिनांक 12.05.2016 एवं 15.11.20214 को लोक अदालत में रखे जाने बाबत पुनः सम्मन भेजे गये, उक्त सम्मन भी अपीलांट स्वयं से तामील बाद प्राप्त हुए हैं। जिससे यह नहीं कहा जा सकता है अपीलांटस पर तामील हेतु सम्मन भेजे नही गये हो। अपीलांट स्वयं द्वारा अपील में कथन किया गया है कि सम्मन के साथ दावे के प्रति प्राप्त नहीं हुई, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री पारित कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश तहसीलदार भोपालगढ को दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपीलांट के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं तथा न ही अपीलांट द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के गलत होने अथवा हिस्से के बारे में विवाद होने का तथ्य उठाया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में गुणावगुण पर किसी प्रकार की त्रूटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 2014/00140 {09/2014} भंवरीदेवी बनाम सिंवरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 अप्रैल 2022 यथावत रखे जाते है। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.08.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
श्रीमती सिंवरी पत्नी सीताराम जाति जाट, निवासी- बारनी खुर्द, हाल गारासनी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी श्री परसाराम, जाति जाट, निवासी- दाड़मी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर। 2. बद्रीराम पुत्र झुमरराम जाति बावरी, निवासी- गारासनी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर। 3. श्रीमान् तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 अप्रैल 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व मूल वाद संख्या 2014/00140 {09/2014} भंवरीदेवी बनाम सिंवरी इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 03 अगस्त 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री रामप्रकाश चौधरी, श्री महीपालसिंह अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 2014/00140 {09/2014} भंवरीदेवी बनाम सिंवरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 अप्रैल 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 03 अगस्त 2023 को जारी किया गया।

03.8.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

03.9.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर